राजस्व वाद संख्याः 1/2019
जीसीएमएस संख्या 2019/00003

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः कविता गोदारा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 1/2019
जीसीएमएस संख्या 2019/00003

1. नानकसिंह
2. प्रीतम सिंह
3. सुरजीतसिंह
4. संतोकसिंह

पिसरान जग्गासिंह

5. बुडसिंह पुत्र मुछासिंह

जाति रायसिख निवासीगण भैरूखीरा 12 जे.एम.डी. तहसील व जिला बीकानेर।

वादीगण

—:बनामः—

1. मृतक शिवदानसिंह

1/1 उषा देवी
1/2 मनोहरसिंह
1/3 किशनसिंह
1/4 मोहनसिंह
1/5 पूर्णसिंह
1/6 सरदारसिंह
1/7 रूपकंवर
1/8 मानसिंह
1/9 शेरसिंह

पुत्र पुत्रीया शिवदानसिंह

1/10 भंवरी बेवा शिवदानसिंह

जाति राजपुत निवासीगण पुरानी गिन्नाणी तहसील व जिला बीकानेर।

2 स्टेट जरिये तहसीलदार बीकानेर।

प्रतिवादीगण

दावा धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपस्थिति अभिभाषकः

1. श्री अजय कुमार ओझा, अभिभाषक, वादीगण।
2. पेरोकारराज, राज्य की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/10 के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय।

–:निर्णयः–

दिनांकः 23/09/24

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम भैरूखीरा चक 12 जे एम डी तहसील बीकानेर के मु.न. 48/40 के किला नंबर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि वादी संख्या 6 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या से खरीद की हुई है। इसी प्रकार मु.न. 48/31 के किला नंबर 1 ता 25 में 25 बीघा व मु.न. 48/39 के किला नंबर 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 50 बीघा भुमि वादीगण संख्या 1 ता 5 की प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये विक्रयपत्र खरीद की हुई है इस प्रकार कुल 75 बीघा भूमि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 06.07.78 को खरीद कर मौके पर भूमि का कब्जा प्राप्त कर रखा है जो उनके अब तक शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादगत भूमि पूर्व खातेदार ईशरसिंह की खेत ख. नं. 102, 131 एवं 146 की कुल 368 बीघा 9 बिस्वा भूमि खातेदारी में चली आ रही थी, जिन्होने अपने जीवनकाल में यह पूरी भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1960 को प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दी थी। विक्रय के पश्चात शिवदानसिंह प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी खरीद शुदा 75 बीघा भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक को वादीगण को विक्रय करके मौके पर भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

कब्जा संभला दिया था तब से वादीगण लगातार काबिज चले आ रहे है। विक्रय पत्रों के आधार पर वादीगण के नाम से नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 6.11.1984 को स्वीकृत हो चुका है। वादीगण द्वारा जब भूमि खरीद की थी उस समय यह भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई थी और मुरब्बा नंबर व किला नंबर होने के कारण विक्रय की परमीशन प्राप्त करके भूमि मुरबा नंबर व किला नं. में क्रय की है। जिसके आधार पर उनके नाम से नामान्तरकरण संख्या 36 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, गिरदावरी में बतौर खातेदार टिनेन्ट के रूप मे संवत 2060 तक बदस्तुर खातेदार टीनेन्ट के रूप में अंकित चला आ रहा है। वादगत भूमि शिवदानसिंह ने जरिये विकय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त कर रखा है परन्तु फिर भी नामान्तरकरण संख्या 124 के द्वारा पहले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसीलदार बीकानेर द्वारा इन्तकाल दर्ज करके दिनांक 2.11.02 को अस्वीकृत कर दिया था परन्तु फिर भी अचानक इसी इन्तकाल की पुश्त पर रिव्यू करके दिनांक 23.11.02 को इस इन्तकाल नंबर 124 को बिना वादीगण को नोटिस दिये उनका नाम काटकर इस इन्तकाल को स्वीकृत कर दिया था। यह आदेश व इन्तकाल वादीगण के अधिकारों के मुकाबले शून्य व बेअसर है। जिसके आधार पर उसके अधिकार समाप्त नहीं हुए है बल्कि आज भी कायम है। इसलिए अपने अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु यह घोषणात्मक वाद प्रस्तुत है। वादीगण के द्वारा जरिये विक्रय पत्र वादगत भूमि खरीद कर रखी है तथा वादगत भूमि पर विधिवत कब्जा प्राप्त कर रखा है जो अब तक

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

निरन्तर चला आ रहा है। और वर्तमान में भी उसके द्वारा भूमि काश्त कर रखी है तथा खेत में ढाणी, झोपड़ा आदि स्थित है। जिसमें वह लोग परिवार सहित निवास करते आ रहे है परन्तु वादीगण रिकार्ड खातेदार टीनेन्ट होते हुए भी तहसीलदार बीकानेर द्वारा बिना अधिकार रीव्यू करके दिनांक 23.11.02 को जो आदेश प्रसारित किया है वह शुरू से ही शून्य होने के कारण उसके आधार पर वादीगण के अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते। वादीगण द्वारा भूमि खरीद करने के पश्चात विक्रय पत्र के आधार पर उनका नाम बतौर खातेदार टीनेन्ट के रूप में अंकित चला आ रहा था। जिसको तहसीलदार द्वारा बिना अधिकार के उनका नाम काटकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करने का आदेश प्रसारित कर दिया जिसकी पालना में वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में से काट दिया यगा जिसके आधार पर वादीगण को उनके अधिकारों से वंचित करने की कुचेष्ठा की गई है। एवं अवैध आदेशों के आधार पर वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते बल्कि आज भी कायम है। वादीगण सदभाविक खरीददार होने के कारण वह लोग उक्त भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय में यह निर्देश दिये है कि वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु सक्षम न्यायालयम में कार्यवाही करें, इसलिये वादीगण को प्रतिवादीगण को दिनांक 10.09.2011 को न्यायालय में चलकर आपसी सहमति से उनका नाम दर्ज करवाने को कहा तो वह स्पष्ट इन्कार हो गया तथा वादीगण को धमकी दी है कि उन लोगों का इस भूमि

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

में कोई हक व हिस्सा एवं अधिकार नहीं है इसलिये भूमि खाली करके कब्जा उनकों सुपूर्द कर देवे परन्तु वादीगण ने कहा कि यह भूमि उनके द्वारा तुम्हे रूपये देकर खरीद की गई है इसलिये कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 सख्त नाराज हो गया और लड़ाई झगड़ा करने लगा इस पर रोला सुनकर मौके पर खेत पड़ौसी एवं राहगीर आ गये जिन्होने बीच बचाव करके वादीगण को मौके पर से हटाया परन्तु जाते हुए एलानिया धमकी दे गया है कि आज तो इन लोगों ने बचा लिया है परन्तु वह फिर से मौका मिलते ही आयेगा और खेत में जबरदस्ती कब्जा करके अन्य किसी को विक्रय करके कब्जा सुपुर्द कर देगा। वादीगण गरीब किसान है लड़ाई झगड़ा करने में समर्थ नहीं है। इसलिये अपनी भूमि की सुरक्षा न्यायालय के माध्यम से करना चाहता है। वादीगण द्वारा जरिये विक्रय पत्र भूमि खरीद करके मौके पर कब्जा प्राप्त कर रखा है तथा राजस्व रिकार्ड में उनका नाम बतौर खातेदार टीनेन्ट के रूप में अंकित चला आ रहा है परन्तु तहसीलदार के आदेश दिनांक 23.11.02 के आधार पर उनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया था जिसका अधिकार तहसीलदार को नहीं होने के कारण यह आदेश विद आउट जूरीनडिक्शन होने के कारण इसके आधार पर की कार्यवाही भी अवैध होने के कारण जहां जहां वादीगण के स्थान पर प्रतिवादीगण का नाम अंकित किया गया है वहां वहां दुरूस्ती की जाकर प्रतिवादीगण के बजाय वादीगण का नाम बतोर खातेदार टीनेन्ट के रूप में अंकित किये जाने हेतु यह वाद दुरूस्ती का प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 10.9.2011 को

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

वादीगण के अधिकारों से इन्कार किया है तथा उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी है इसलिये यह तारीख बिनाय दावा एवं बिनाय मुखास्मत है जो वादीगण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध उत्पन्न हुई है। स्टेट लैण्ड होल्डर होने के कारण यह आवश्यक पक्षकार है जिसको 80 सीपीसी का नोटिस देना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादी वादी को जबरन बेदखल करके कब्जा छीनने की कोशिश में है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना आवश्यक है इसलिये दावा शीघ्र प्रस्तुत करके प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक हो गई है। इसलिये स्टेट को नोटिस देकर दो माह तक इन्तजार नहीं किया जा सकता। छूट के लिए 80(2) का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत करके निवेदन है कि इसे निम्नलिखित ढंग से डिग्री फरमाया जावेंः–

1. घोषणा की जावे कि चक 12 जे एम डी के मु.न. 48/40 के किला नंबर 1 ता 25 मु.न. 48/31 के किला नंबर 1 ता 25 व मु.न. 48/39 के किला नंबर 1 ता 25 की कुल 75 बीघा भूमि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये विक्रयपत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त कर रखा है जिसके खातेदार घोषित किया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में उनका नाम बतौर खातेदार अंकित करने का आदेश फरमाया जावें।

2. घोषणा की जावे कि वादीगण के अधिकारों के मुकाबले तहसीलदार का आदेश दिनांक 23.11.02 शून्य घोषित किया जावे तदनुसार

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम से अंकित भूमि की दुरूस्ती की जाकर वादीगण के नाम से दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

3. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा का आदेश फरमाया जावे।

4. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि वह लोग वादीगण के कब्जा काश्त में कोई दखलंदाजी नहीं करे जबरन कब्जा नहीं छीने तथा बिना अधिकार प्राप्त वादगत भूमि रहन, बैय, मुन्तकिल नहीं करे, तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वादीगण अपने अधिकारों से वंचित हो जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित नहीं होने के परिणामस्वरूप प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गयी, वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में गवाह वादी संख्या 1 ता 5 ने साक्ष्य शपथ–पत्र पेश कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

प्रकरण में बहस वादीगण एकपक्षीय सुनी गयी। वादीगण की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा बहस में वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादीगण ग्राम भैरूखीरा चक 12 जे एम डी तहसील बीकानेर के मु.न. 48/40 के किला नंबर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि वादी संख्या 6 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

की हुई है। इसी प्रकार मु.न. 48/31 के किला नंबर 1 ता 25 में 25 बीघा व मु.न. 48/39 के किला नंबर 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 50 बीघा भुमि वादीगण संख्या 1 ता 5 की प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये विक्रयपत्र खरीद की हुई है इस प्रकार कुल 75 बीघा भूमि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 06.07.78 को खरीद कर मौके पर भूमि का कब्जा प्राप्त कर रखा है जो उनके अब तक शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादगत भूमि पूर्व खातेदार ईशरसिंह की खेत ख.नं. 102, 131 एवं 146 की कुल 368 बीघा 9 बिस्वा भूमि खातेदारी में चली आ रही थी, जिन्होने अपने जीवनकाल में यह पूरी भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1960 को प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दी थी। विक्रय के पश्चात शिवदानसिंह प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी खरीदशुदा 75 बीघा भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक को वादीगण को विक्रय करके मौके पर भूमि का कब्जा संभला दिया था तब से वादीगण लगातार काबिज चले आ रहे है। विक्रय पत्रों के आधार पर वादीगण के नाम से नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 6.11.1984 को स्वीकृत हो चुका है। वादीगण द्वारा जब भूमि खरीद की थी उस समय यह भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई थी और मुरब्बा नंबर व किला नंबर होने के कारण विक्रय की परमीशन प्राप्त करके भूमि मुरबा नंबर व किला नं. में क्रय की है। जिसके आधार पर उनके नाम से नामान्तरकरण संख्या 36 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, गिरदावरी में बतौर खातेदार टिनेन्ट के रूप मे संवत 2060 तक बदस्तुर खातेदार टीनेन्ट के रूप में अंकित चला आ रहा है। वादगत

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

भूमि शिवदानसिंह ने जरिये विक्रय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त कर रखा है परन्तु फिर भी नामान्तरकरण संख्या 124 के द्वारा पहले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसीलदार बीकानेर द्वारा इन्तकाल दर्ज करके दिनांक 2.11.02 को अस्वीकृत कर दिया था परन्तु फिर भी अचानक इसी इन्तकाल की पुश्त पर रिव्यू करके दिनांक 23.11.02 को इस इन्तकाल नंबर 124 को बिना वादीगण को नोटिस दिये उनका नाम काटकर इस इन्तकाल को स्वीकृत कर दिया था। यह आदेश व इन्तकाल वादीगण के अधिकारों के मुकाबले शून्य व बेअसर है। जिसके आधार पर उसके अधिकार समाप्त नहीं हुए है बल्कि आज भी कायम है। इसलिए अपने अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु यह घोषणात्मक वाद प्रस्तुत है।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। वादगत भूमि चक 12 जे एम डी के मु. न. 48/40 के किला नंबर 1 ता 25 मु.न. 48/31 के किला नंबर 1 ता 25 व मु.न. 48/39 के किला नंबर 1 ता 25 की कुल 75 बीघा भूमि 1978 में जरिये पजींबद्ध बैयनामा वादीगण की क्रय शुदा भूमि है, जिसके संबंध में बैयनामा प्रदर्शित किया गया। उक्त बैयनामा के आधार पर नामान्तरकरण वादीगण के हक में दिनांक 06.11.84 को 75 बीघा स्वीकृत किया गया। उक्त भूमि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के पिता शिवदान सिंह से क्रय की गयी तथा शिवदान को उक्त भूमि जरिये बैयनामा ईश्वर सिंह प्राप्त हुई। ईश्वर सिंह के वारिसान तथा शिवदान सिंह के मध्य प्रकरण में न्यायालय उपनिवेशन

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

तहसीलदार, राजस्थान नहर योजना बीकानेर के निर्णय दिनांक 01.10.1984 के द्वारा पंजीबद्ध बैयनामा के आधार पर विवादित आराजी के पुराने खसरा नंबर 108, 131 व 146 का खातेदार शिवदान सिंह को घोषित किया गया। उक्त आदेश के उपरान्त नामान्तरकरण शिवदान के हक में स्वीकृत हुआ तथा वादीगण के बैयनामा के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को बिना सुनवाई खारिज करते हुए शिवदान के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार, राजस्थान नहर योजना बीकानेर के निर्णय दिनांक 01.10.1984 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा सही ठहराया गया, जो शिवदान के हक में बहैसियत क्रेता खातेदारी घोषणा बहाल रखी गयी। तद्उपरान्त वादीगण द्वारा नायब तहसीलदार बीकानेर के रिव्यू आदेश दिनांक 23.11.2002 तथा तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 25.09.2006 के विरूद्ध नामान्तरकरण की अपील की गयी, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 13.06.2011 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के आदेश दिनांक 28.02.2011 की पुष्टि की गयी तथा प्रार्थीगण वादीगण को अपने अधिकारों की घोषणा बाबत् नियमित वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। जिसके उपरान्त बहैसियत क्रेता उक्त वाद पेश किया गया।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। वादीगण द्वारा बहैयित क्रेता नायब तहसीलदार बीकानेर के रिव्यू आदेश दिनांक 23.11.2002 तथा तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 25.09.2006 के विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

नामान्तरकरण की अपीले की गयी, परन्तु उपरोक्त नामान्तरकरण सक्षम न्यायालयों के आदेशों की पालना में पारित किये गये, जिनको नामान्तरकरण की अपीलों के तहत हकों का निस्तारण किया जाना माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय अनुसार विधिक नहीं माना गया हैं।

उक्त नियमित वाद के तहत वादीगण के हकों का परीक्षण करने उपरान्त यह तथ्य हमारे समक्ष प्रकट हुआ है कि प्रतिवादी शिवदान द्वारा बहैसियत खातेदार जरिये पजींबद्ध बैयनामा 75 बीघा भूमि वादीगण को विक्रय की गयी, उक्त भूमि प्रतिवादी शिवदान द्वारा मूल खातेदार ईश्वर सिंह से क्रय की गयी, जिसकी खातेदारी घोषणा शिवदान के हक में की जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जिसमें वादीगण की क्रयशुदा 75 बीघा का नामान्तरकरण भी प्रतिवादी शिवदान के हक में पारित किया गया, चूंकि शिवदान के द्वारा बहैसियत क्रेता खातेदार जरिये पंजीबद्ध बैयनामा 75 बीघा भूमि वादीगण को विक्रय की गयी, अतः 75 बीघा की हद तक खातेदारी घोषणा उपरान्त शिवदान की पादुकाओं में वादीगण स्वतः शुमार हो जाते है, जिसकी घोषणा के अधिकारी है। तथाकथित बैयनामा बहक वादीगण आज दिनांक तक किसी न्यायालय द्वारा वॉइड नहीं माना गया है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजात के परीक्षण से यह तथ्य सुस्पष्ट है कि ईश्वर सिंह के उपरान्त बहैसियत क्रेता प्रतिवादी शिवदान सिंह के हक में खातेदारी घोषणा की गयी तथा उसके उपरान्त बहैसियत क्रेता वादीगण 75 बीघा की खातेदारी घोषणा

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

के अधिकारी है तथा उनके अधिकारों के समक्ष नामान्तकरण आदेश दिनांक 23.11.2002 तहसीलदार बीकानेर वादीगण के अधिकारों की हद तक प्रभाव शून्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण आदेश दिनांक 23.11.2002 तहसीलदार बीकानेर वादीगण के अधिकारों की हद तक प्रभावशून्य घोषित किया जाता है तथा वादगत भूमि चक 12 जे एम डी के मु.न. 48/40 के किला नंबर 1 ता 25 मु.न. 48/31 के किला नंबर 1 ता 25 व मु.न. 48/39 के किला नंबर 1 ता 25 की कुल 75 बीघा भूमि में का बैयनामा के अनुसार वादीगण संख्या 1 ता 4 एवं उनके पिता की मृत्यु उपरान्त उनकी खरीद शुदा भूमि बैयनामों के आधार उनके वारिसान वादीगण संख्या 1 ता 4 के हक में कुल 65 बीघा तथा वादी संख्या 5 की खरीदशुदा 10 बीघा के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बीकानेर को प्रेषित की जाकर आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्णय व डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में बैयनामों के आधार पर प्रतिवादी के स्थान पर वादीगण का नाम अंकित कर निर्णय व डिक्री की पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

राजस्व वाद संख्या: 1/2019
जीसीएमएस संख्या 2019/00003

निर्णय आज दिनांक 23/09/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

(कविता गोदारा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर